

- 5 -

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०७/२०१६-१७

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो
बनाम्

M/S Swarnkala Sarees

-: आदेश :-

15.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Swarnkala Sarees प्र० श्री सुधीर कुमार पिता श्री शंकर प्रसाद गुप्ता, सा०-नियर GEL Church Beside Astha, Bye Pass Road चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थाने दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास थाना सं०-३० खाता सं०-१९४, प्लॉट सं०-७३०८ रकबा-३.५० डी० एवं उस पर निर्मित संरचना) को गिरवी रखते हुए ४०,००,०००/(चालीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-३०.०९.२०१५ को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, किन्तु डाक विभाग के द्वारा उक्त नोटिस के लिफाफे पर यह लिख कर वापस कर दिया गया कि "बराबर दरवाजा बंद रहता है।" पुनः

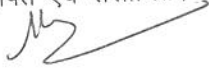


विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

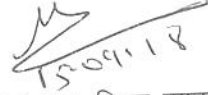
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।